न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–**रूक्मणि रियार सिहाग** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–15/2022 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

औमप्रकाश पुत्र श्री मालचन्द निवासी धीरबास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू।

––अप्रार्थी

उपस्थितः– 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री रामकुमार कस्वां अप्रार्थी अधिवक्ता।

–:निर्णयः– दिनांकः–08.12.2022

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.10.2022 को जिला रसद अधिकारी मय कार्यालय स्टाफ के साथ पेट्रोल–डिजल की अवैध तस्करी भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत तहसील भादरा के गांव सरदारगढ़िया के समीप पिकअप नम्बर आर.जे. 10 जी.बी. 2892 को रूकवाकर तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान उक्त वाहन में 1995 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक के ड्रम, 5 प्लास्टिक कैनी, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी मिली। वाहन चालक ने आपना नाम औमप्रकाश पुत्र मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी धीरबास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू का होना बताया। मुताबिक औमप्रकाश उक्त पिकअप में भरा समस्त पेट्रोल व डीजल हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद करना बताया एवं पेट्रोल–डीजल के उपयोग एवं परिवहन के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही वैध दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। उक्त पिकअप में लगातार भण्डारण एवं परिवहन स्पष्ट करता है कि उक्त वाहन का उपयोग हरियाणा से पेट्रोल व डीजल खरीद कर राजस्थान में अवैध कारोबार करने में किया जा रहा है। मौके पर पाये गये 1995 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम 5 प्लास्टिक कैनी, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 1995 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम 5 प्लास्टिक कैनी, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री करणीसिंह पुलिस थाना गोगामेड़ी को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री औमप्रकाश पुत्र मालचन्द निवासी धीरबास बड़ा तारानगर जिला चूरू द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन किया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया है कि जब्त पिकअप नम्बर RJ10 GB 2892 मय 1995 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक के ड्रम, 5 प्लास्टिक कैनी, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 07.11.2022 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र परिवादी पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि दिनांक 28.10.2022 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा तहसील भादरा के गांव सरदारगढ़िया में वाहन संख्या RJ10 GB 2892 तलाशी लेना स्वीकार है। शेष तथ्या पेट्रोल–डिजल की अवैध तस्करी भण्डारण परिवहन होना गलत व निराधार अंकित होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी से वाहन पिकअप नं. RJ10 GB 2892 से 8 प्लास्टिक ड्रमों व 5 प्लास्टिक कैनी में अलग–अलग 1995 लीटर डीजल लेकर आ रहा था जिसकें बिलों की प्रति उसी समय जिला रसद अधिकारी को सौंप दी थी। वाहन में 1995 लीटर डीजल 8 प्लास्टिक के ड्रम व 5 प्लास्टिक कैनियों में लदा होना स्वीकार है। 1955 लीटर डीजल अपने घरेलू कार्यों हेतु प्रार्थी ले के जा रहा था। प्रार्थी उक्त वाहन का चालक व वाहन मालिक है, के कृषि कार्य हेतु 2500 लीटर से कम मात्रा में डीजल ले जाना कोई अपराध नहीं है। जिला रसद अधिकारी ने बिना किसी अधिकार कानून के उक्त अविधिक कार्यवाही की है। पिकअप में भरा समस्त डीजल एचपीसीएल हमारा पम्प खेड़ा खुर्द के बिल जिला रसद अधिकारी को सौंप दिये थे। उक्त डीजल वाहन मालिक के घरेलू उपयोग व उनके कृषि कार्य हेतु ले जाना बता दिया था एवं 2500 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारतवर्ष में आपराधिक कृत्य नहीं है। इस हेतु किसी लाईसेंस व परमिट की आवश्यकता नहीं है। माननीय जिला रसद अधिकारी ने मुझ अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से मेरा डीजल जब्त किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा क्रीमीनीयल एसबी मिसलेनीयस रिट पेटीशन नं. 1206/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 व पेटीशन संख्या 4279/2018 में पारित आदेश 03.01.2019 में इस तरह की कार्यवाहियों को गलत मानते हुए जब्त डीजल वापिस शास्ती सहित दिलवाने के आदेश दिये है। मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही काबिल खारिजी के है एवं माननीय रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा की गई कार्यवाहीयों को माननीय सेशन न्यायालय, हनुमानगढ़ द्वारा अवैध बताकर खारिज की गई है व रसद विभाग द्वारा प्रस्तुत धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अभियोजन को पोषणीय नहीं होना माना है व जब्तशुदा पैट्रोलियम पदार्थ जो भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की हद तक समस्त प्रकरणों में लौटाने के आदेश दिये है। मुझ अप्रार्थी ने किसी भी नियम अथवा कानून का उल्लंघन नहीं किया है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल परिवहन करने की छूट दी गई हैं तथा वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर नोटिस हाजा की कार्यवाही व प्रार्थी से जब्तशुदा 1995 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम एवं 5 प्लास्टिक कैनी व वाहन पिकअप नं. RJ10 GB 2892 को वापस लौटाये जाकर उक्त प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल को ड्रम, कैनियों के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल, डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश किसी भी बिल में अप्रार्थी का नाम, वाहन का नाम आदि नहीं होने व फर्द जब्ती में पेट्रोल–डीजल की मात्रा व बिल में दर्शाई गई पेट्रोल–डीजल की मात्रा में अन्तर से बिल आदि फर्जी प्रतीत होते है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वाहन मालिक के स्वयं के दो वाहन व कुछ हिस्सा जमीन के अतिरिक्त प्रस्तुत अन्य काश्तकारों की जमीन की जमाबंदी व वाहन की आर.सी. आदि का इस जब्तशुदा डीजल, पेट्रोल से कोई सम्बन्ध होना नहीं प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के वाहन मालिक के जमीन, खेत खलियान है जिनमें डीजल की परिवहन हेतु आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी ने उक्त पिकअप में भरा समस्त डीजल एचपीसीएल हमारा पम्प खेड़ा खुर्द के बिल जिला रसद अधिकारी को सौंप दिये थे। उक्त डीजल वाहन मालिक के घरेलू उपयोग व उनके कृषि कार्य हेतु ले जाना बता दिया था एवं 2500 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारतवर्ष में आपराधिक कृत्य नहीं है। इस हेतु किसी लाईसेंस व परमिट की आवश्यकता नहीं है। जिला रसद अधिकारी के पास वाहन के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वाहन के उचित रख–रखाव के अभाव में रंग–रोगन, टायर टयूब, इंजन खराब होने का

अंदेशा है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल अप्रार्थी को लौटाकर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी के द्वारा जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण पिकअप नम्बर RJ10 GB 2892 मय 1995 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक के ड्रम, 5 प्लास्टिक कैनी, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी जब्त कर जिला रसद अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही बाबत निवेदन किया गया। वर्तमान प्रकरण पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन एवं संग्रहण से सम्बन्धित है। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा तलाशी के दौरान यह सिद्ध नहीं किया कि उसके पास खुद की या वाहन मालिक की कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने तलाशी के वक्त कोई वाहनों के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश किसी भी बिल में अप्रार्थी का नाम, वाहन का नाम आदि नहीं होने व फर्द जब्ती में पेट्रोल–डीजल की मात्रा व बिल में दर्शाई गई पेट्रोल–डीजल की मात्रा में अन्तर से बिल आदि फर्जी प्रतीत होते है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें कोई वाहन व कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम नहीं है। वाहन मालिक के स्वयं के दो वाहन व कुछ हिस्सा जमीन के अतिरिक्त प्रस्तुत अन्य काश्तकारों की जमीन की जमाबंदी व वाहन की आर.सी. आदि संलग्न है, के द्वारा स्वयं या जरिये प्रतिनिधि उपस्थित होकर डीजल–पेट्रोल स्वयं का होने व उसे छोड़ने के सम्बन्ध में कोई पक्ष नहीं रखने पर प्रतीत होता है कि इस जब्तशुदा डीजल, पेट्रोल से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी द्वारा अपने वाहन मालिक के निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर 1995 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक के ड्रम, 5 प्लास्टिक कैनी, 70 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 07.11.2022 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा वाहन पिकअप नं. RJ10 GB 2892 का प्रश्न है, केवल इस न्यायालय में दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप नं. RJ10 GB 2892 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन पिकअप नं. RJ10 GB 2892 के इंजिन नं. व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। यदि वाहन मोडिफाई (Modified) है, तो जिला परिवहन विभाग से निरीक्षण करवाकर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने पर आवश्यक कार्यवाही करवाकर ही वाहन मालिक को सौंपने की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़